पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी हाजिर। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते करते हुए कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी में प्रार्थी का नाम लक्ष्मीचन्द पुत्र मुखराम दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम लखमीचन्द पुत्र मुखाराम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार प्रार्थी का नाम लक्ष्मीचन्द पुत्र मुखराम गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक की प्रतियां पेश की जिनमें प्रार्थी का सही नाम लखमीचन्द पुत्र मुखाराम है। व प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी खातेदार का नाम लक्ष्मीचन्द पुत्र मुखराम गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार प्रार्थी का सही नाम लखमीचन्द पुत्र मुखाराम है की पुष्टि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक से एवं प्रार्थी के शपथ पत्र से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं:-

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
[illegible]पुर	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसला शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज इजलास सुनाया गया।

Scanned with OKEN Scanner